

अध्याय III

टैरिफ तथा राजस्व उत्पादन

केकेएनपीपी की इकाई I ने 31 दिसम्बर 2014 को वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ किया। संयंत्र के संस्थापन की तारीख से पूर्व उत्पादित बिजली “अस्थिर बिजली” कही जाती है और वाणिज्यिक प्रचालन के आरम्भ के बाद उत्पादित बिजली “स्थिर बिजली” कही जाती है। नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन द्वारा उत्पादित बिजली बेचने का टैरिफ परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा निर्धारित किया जाना था। डीएई द्वारा टैरिफ निर्धारण लम्बित होने से एनपीआईएल द्वारा अन्तरिम टैरिफ बनाया गया था जिसे डीएई अधिसूचना दिनांक 8 दिसम्बर 2010 एवं 23 मई 2013 के अनुसार होना बताया गया था। 31 मार्च 2017 को समाप्त गत चार वर्षों के लिए केकेएनपीपी का परिचालन निष्पादन निम्नवत था:-

तालिका 3.1: केकेएनपीपी का परिचालन निष्पादन

विद्युत	विवरण	नाभिकीय ऊर्जा	
		अस्थिर बिजली (इकाई I एवं II)	स्थिर बिजली (इकाई I)
उत्पादन (इकाई मिलियन कि.वाट में)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए	1,105.62	--
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	2,242.59	2,087.37
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	--	2,261.22
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	2,326.57	6,224.96
जोड़		5,674.78	10,573.55
कुल निर्यात ¹⁹ (यूनिट मिलियन कि.वाट में)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए	776.96	--
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	1,837.92	1,917.12

¹⁹ राज्य बिजली बोर्ड को बिजली विक्रय दर्शाता है।

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	--	2,056.53
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	2083.31	5726.09
	जोड़	4,698.19	9,699.74
कुल निर्यात (राशि ₹ करोड़ में)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए	95.94	--
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	234.77	740.03
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	--	801.87
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	255.43	2,302.34
	जोड़	586.14	3,844.24

तालिका 3.1 से यह देखा जा सकता है कि 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹ 5,674.78 मिलियन कि.वाट इकाई अस्थिर बिजली का उत्पादन किया गया था जिसमें से ₹ 586.14 करोड़ मूल्य पर 4,698.19 मिलियन कि.वाट यूनिटों का निर्यात किया गया था। इसके अलावा 10,573.55 मिलियन कि.वाट यूनिट स्थिर बिजली का उत्पादन किया गया था जिसमें से 9,699.74 मिलियन कि.वाट यूनिटें ₹ 3,844.24 करोड़ मूल्य पर निर्यात की गई थीं।

3.1 टैरिफ के तदर्थ निर्धारण के परिणाम स्वरूप ₹ 90.63 करोड़ के राजस्व की कम वसूली

राज्य विद्युत बोर्ड को नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र द्वारा विद्युत (स्थिर ऊर्जा) की बिक्री के लिए टैरिफ डीएई की (दिनांक 8 दिसम्बर 2010) टैरिफ अधिसूचना में निर्धारित प्रतिमानों के आधार पर निर्धारित किया जाना था। जिसमें निर्धारित संघटक है इक्विटी पर रिटर्न, ऋण पर ब्याज, मूल्य हास, प्रचालन तथा रख-रखाव लागत, विदेशी मुद्रा दर बदलाव एवं हैजिंग लागत, ईंधन खपत, कार्यचालन पूंजी पर ब्याज, वार्षिक ईंधन प्राप्ति, कर प्रावधान एवं बंद करने की लेवी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एनपीसीआईएल ने अस्थिर विद्युत हेतु टैरिफ निर्धारित करते समय विचार किया (जुलाई 2013) कि डीई की 8 दिसम्बर 2010 की अधिसूचना नाभिकीय रिएक्टरों द्वारा उत्पादित अस्थिर विद्युत पर प्रभारित की जाने वाली दर पर मौन थी। एनपीसीआईएल द्वारा प्रचालन तथा रख-रखाव प्रभारों तथा ईंधन लागत पर विचार करते हुए 61.15 पैसे कि.वाट/घंटा पर अस्थिर टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रस्ताव रखा गया था (जुलाई 2013) जैसाकि एनपीसीआईएल की अन्य इकाईयों के मामलों में यह प्रवृत्ति प्रचलित थी। उपरोक्त दर के बहुत कम होने के मद्देनजर कार्यचालन पूंजी पर ब्याज तथा मूल्यहास के दो अतिरिक्त घटकों पर इस आधार पर अस्थिर टैरिफ की गणना करने हेतु विचार किया गया कि यह व्यय 22 अक्टूबर 2013 तथा 31 दिसम्बर 2014 के बीच हुए थे। इन घटकों को शामिल करने के बाद अस्थिर विद्युत की दर 122.37 पैसे प्रति कि.वाट/घंटा पर निर्धारित की गई (नवम्बर 2013)।

टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि एनपीसीआईएल ने टैरिफ निर्धारण के लिए घटकों को शामिल करने हेतु एकरूप मानदंड नहीं अपनाया था। तथापि, इसने दो अतिरिक्त घटकों अर्थात् “कार्यचालन पूंजी पर किया गया ब्याज व्यय” तथा “मूल्यहास” पर इस आधार पर विचार किया कि इनको वहन किया गया था, परन्तु दो अन्य समान घटकों अर्थात् “विदेशी ऋण पर ब्याज” तथा “घरेलू उधारों पर ब्याज” पर विचार नहीं किया था, जोकि 22 अक्टूबर 2013 और 31 दिसम्बर 2014 के बीच उसी अवधि के दौरान वहन किये गये थे तथा ब्याज भुगतान के रूप में निधियों का बहिर्गमन करते थे। अस्थिर विद्युत हेतु टैरिफ निर्धारण में इन दो घटकों पर विचार न करने के लिए कोई यथोचित कारण नहीं दिए गए थे।

अस्थिर पावर उत्पादन (2,614.88 मिलियन कि.वाट) हेतु टैरिफ निर्धारण में विदेशी ऋण पर ब्याज (19.89 पैसे प्रति कि.वाट) एवं घरेलू ऋण पर ब्याज (14.77 पैसे प्रति कि.वाट) पर विचार न करने के परिणामस्वरूप 22 अक्टूबर 2013 और 31 दिसम्बर 2014 के बीच की अवधि में ₹ 90.63 करोड़ तक राजस्व का कम उद्ग्रहण हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि अस्थिर विद्युत के लिए टैरिफ के कोई निश्चित घटक नहीं है। इसके अलावा, निगम को कोई कम उद्ग्रहण या हानि नहीं हुई है क्योंकि वाणिज्यिक प्रचालनों की तिथि (सीओडी) तक सभी व्ययों को पूंजीकृत कर लिया गया है तथा स्थिर विद्युत के टैरिफ के माध्यम से वसूल कर लिया जाता है। किसी व्यय, जिसे टैरिफ में

दर्शाया नहीं गया, को पूंजीकृत कर लिया जाता है तथा बाद में सीओडी के बाद स्थिर विद्युत की बिक्री के माध्यम से निधियों की लागत सहित वसूली कर ली जाती है।

प्रबंधन का उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह मामला बिक्री प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में समझने या पूंजीगत व्यय में कमी के बारे में नहीं है। यह मामला अस्थिर विद्युत हेतु टैरिफ निर्धारित करते समय वहन किए गए व्यय की दो मदों (विदेशी ऋण पर ब्याज तथा घरेलू ऋण पर ब्याज जो कि निधियों का बहिर्गमन करते हैं) पर ध्यान न देने के लिए विशेष कारणों के बारे में है, जिस पर उत्तर मौन है। अस्थिर टैरिफ हेतु अपनाई गई पद्धति इस तथ्य की सूचक थी कि इस मामले में बड़ी मात्रा में राजस्व पहलुओं को प्रभावित करने वाला टैरिफ संबंधित निर्णय एनपीसीआईएल द्वारा पूर्णतः संरचित प्रयोग के बिना एवं बिना पूर्वनिर्धारित मानदंड पर आधारित तदर्थ तथा विवेकगत तरीके से लिया था।

लेखापरीक्षा सिफारिश सं. 4	सिफारिश पर डीएई का उत्तर
<p>अस्थिर टैरिफ निर्धारण के सभी मामलों को एनपीसीआईएल द्वारा उक्त हेतु निर्णय लेने में विवेकगत तदर्थता से बचने के लिए पूर्व निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रसंस्कृत किया जाए।</p>	<p>डीएई ने सूचना दी कि वर्तमान में अस्थिर टैरिफ प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा कोई सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है, और यह कि अस्थिर विद्युत बिक्रियों के उद्ग्रहण को परियोजना लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। अतः केवल परिवर्ती लागत ही नीति के अनुसार ली जा रही है। पद्धति के अनुसार विचार करने की अलावा लागत की दो अतिरिक्त मदों पर विचार करने के कारण लेखापरीक्षा आपत्ति बनी।</p> <p>डीएई ने लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार किया तथा अपनाए गए सिद्धांत में समरूपता की आवश्यकता की पुष्टि की।</p>

3.2 ऊर्जा की बिक्री पर टैरिफ के अधिसूचित अतिरिक्त संघटक की वसूली न होना - ₹ 7.04 करोड़

डीईई, ने अपनी 23 मई 2013 की अधिसूचना द्वारा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के हॉटजोन परिसम्पत्तियों²⁰ के स्वयं बीमा निधि²¹ के लिए मौजूदा और भविष्य के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा की बिक्री पर टैरिफ में 1.5 पैसा/किलो वाट प्रति घण्टे का अतिरिक्त घटक उद्ग्रहित किया। अधिसूचना के अनुसार, ये प्रभार निर्धारित थे और आगामी अधिसूचना तक तत्काल प्रभाव से देय होंगे। ये प्रभार सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा की बिक्री हेतु आधार टैरिफ के किसी संशोधन या पुनः अधिसूचना के बावजूद लागू थे।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि एनपीसीआईएल ने 1.5 पैसा/किवा प्र.घं के अतिरिक्त संघटक को निर्धारित टैरिफ में बिक्री के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को केकेएनपीपी की अपनी इकाई I से उत्पन्न अस्थिर ऊर्जा के लिए शामिल नहीं किया। इकाई I से उत्पन्न (2,614.88 मिलियन कि.वाट/घंटा) एवं (इकाई II से उत्पन्न 2,083.31 मिलियन कि.वाट/घंटा) अस्थिर उर्जा राज्य विद्युत बोर्ड को बेची गई। एनपीसीआईएल ने 1.5 पैसा के संघटक को केवल इकाई I एवं इकाई II के व्यवसायिक परिचालन की तिथि से उद्ग्रहित किया। एनपीसीआईएल ने 4,698.19 मिलियन कि.वाट/घंटा अस्थिर ऊर्जा अक्टूबर 2013 से मार्च 2017 के दौरान राज्य विद्युत बोर्ड को बेची जिस पर टैरिफ में स्वयं बीमा निधि के अतिरिक्त संघटक को शामिल न करने के कारण ₹ 7.04 करोड़ की राशि को छोड़ दिया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के व्यवसायिक परिचालन की घोषणा पर एक स्टेशन के रूप में माना गया और अस्थिर ऊर्जा अवधि के दौरान अन्य उद्ग्रहणों जैसे विखंडित उद्ग्रहणों को प्रभारित नहीं किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि लेखाकरण व्यवहार के अनुसार संयंत्र की क्रीटिकैलिटी (Criticality) से व्यवसायिक परिचालन को आरंभ करने तक की अवधि के दौरान से, ऊर्जा (अस्थिर) की बिक्री से उपार्जित सभी राजस्वों को परियोजना की पूंजीगत लागत की कमी के रूप में माना जाता है और उन सभी व्ययों जिसमें ऋण पर ब्याज भी शामिल है को पूंजीगत किया जाता है।

²⁰ विकिरण और परमाणु रिऐक्टर

²¹ स्वयं बीमा निधि सेल्फ कोर्पस के निर्माण की धारणा पर जोखिम को कम करने के लिए जो सामान्य बीमा नीतियों में नहीं है के लिए संगृहीत की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा की आपत्तियां अस्थिर ऊर्जा की बिक्री पर प्राप्त लेखाकरण व्यवहार पर नहीं है बल्कि अस्थिर ऊर्जा के टैरिफ के निर्धारण में डीएई द्वारा निर्धारित स्वयं बीमा निधि के अतिरिक्त संघटक को शामिल न करने पर है जिसके परिणामस्वरूप कम वसूली एवं फलतः राजस्व का नुकसान हुआ जिस पर उत्तर मौन है।

3.3 तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा व्हीलिंग के आधार पर बिलों में पवन चक्की द्वारा उत्पादित ऊर्जा प्रभारों की वसूली/समायोजन न होना

एनपीसीआईएल ने अपने कुडनकुलम परिसर में 1250 कि.वाट क्षमता प्रत्येक की आठ पवनचक्की प्रतिष्ठापित की थी (2007)। प्रतिष्ठापित आठ इकाईयों में से पाँच द्वारा उत्पादित पवन ऊर्जा का उपयोग कैप्टिव (स्वयं) खपत के लिए किया गया था और शेष तीन इकाईयों से उत्पादित विद्युत को तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण कॉरपोरेशन लिमिटेड²² (टीएनजीईडीसीओ) को बेचा गया था जिसके लिए एनपीसीआईएल तथा टीएनजीईडीसीओ के बीच आवश्यक करार किए गए थे (जनवरी 2007)। करार को अक्टूबर 2009 में संशोधित किया गया था जिसमें अधिशेष पवन ऊर्जा, यदि कोई उत्पादन हुआ है, की व्हीलिंग²³ तथा बैंकिंग²⁴ के लिए प्रावधान किया गया था। विद्युत (पवन ऊर्जा) टीएनजीईडीसीओ को मार्च 2009 से ₹ 2.90 प्रति यूनिट पर बेची जा रही थी। करार के अनुसार, पवन ऊर्जा के कैप्टिव से बिक्री में उपयोग के परिवर्तन की अनुमति थी। इसके अलावा, बैंकिंग अवधि की समाप्ति अर्थात् प्रत्येक वर्ष 31 मार्च, पर उपलब्ध बैंकड ऊर्जा, यदि कोई है, के अप्रयुक्त हिस्से को सामान्य खरीद दर ₹ 2.90 प्रति यूनिट के 75 प्रतिशत दर पर अर्थात् ₹ 2.175 प्रति यूनिट पर टीएनजीईडीसीओ द्वारा खरीद माना गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि टीएनजीईडीसीओ ने उत्पादित पवन ऊर्जा का समायोजन किए बिना जुलाई तथा अगस्त 2012 के माह हेतु इन कनेक्शनों के प्रति साइट के लिए ₹ 9.50 तथा टाऊनशिप के लिए ₹ 4.50 की हाई टैन्शन (एचटी) कनेक्शन दरों पर बिल बनाए थे तथा

²² तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) का पुनर्गठन 1 नवम्बर 2010 को टीएनईबी लिमिटेड, तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएनजीईडीसीओ) और तमिलनाडु संचारण कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएनटीआरएनएससीओ) में हुआ।

²³ व्हीलिंग का तात्पर्य एक उपयोग सेवा क्षेत्र से अन्य तक ट्रांसमिशन तथा वितरण लाइनों के माध्यम से विद्युत का स्थानांतरण है।

²⁴ बैंकिंग का तात्पर्य एक माह में ट्रांसमिशन/वितरण प्रणाली में डाली गई ऊर्जा में से कैप्टिव खपत के लिए उपयोग करने के बाद अधिशेष विद्युत ऊर्जा से हैं जिसे बाद में अपने स्वयं के उपयोग या व्हीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा।

एनपीसीआईएल ने उच्च दरों पर इन बिलों का भुगतान कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप टीएनजीईडीसीओ को ₹ 2.09 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि करार के अनुसार एचटी 131 तथा एचटी 132 में खपत के प्रति पवन ऊर्जा उत्पादन का असमायोजन केकेएनपीपी द्वारा पहले ही पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के माध्यम से उठाया जा चुका था। इसके अलावा, 27 जून 2015 को टीएनईबी को पत्र भी लिखा गया था। हालांकि प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

यद्यपि तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जुलाई तथा अगस्त 2012 के बिलों हेतु लाभ की अनुमति नहीं दी थी और मामले पर कंपनी के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श चल रहा था, फिर भी राशि अभी तक असमायोजित रही। यह प्रभावी निगरानी तंत्र, जो कि टीएनजीईडीसीओ को सत्यापन के पश्चात एवं समझौते की शर्तों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने हेतु जरूरी था, के अभाव को दर्शाता है।

3.4 इकाई I में फिर से ईंधन भरने के बाद पुनः शुरू करने में परिहार्य विलंब के कारण कामबंदी में असामान्य वृद्धि हुई तथा ₹ 947.99 करोड़ की परिणामी राजस्व हानि हुई।

एनपीसीआईएल ने इकाई I का फिर से ईंधन भरने का कार्य विभागीय श्रमबल के साथ-साथ इसके द्वारा नियुक्त भारतीय ठेकेदार के श्रमबल से कराने की योजना बनाई थी। तदनुसार इकाई I की नियोजित कामबंदी मई 2015 के अंतिम सप्ताह से जुलाई 2015 के तीसरे सप्ताह तक 60 दिनों की थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एनपीसीआईएल ने बाद में महसूस किया (जुलाई 2015) कि विभिन्न आपूर्त उपस्करों पर विभागीय श्रमबल के साथ-साथ भारतीय विक्रेताओं का अनुभव सीमित था तथा रूस के साथ तीसरे देशों के विनिर्माता विशेषज्ञों या अन्य विशेषज्ञों से तकनीकी सहायता/परामर्श फिर से ईंधन भरने के अनुपयोग काल के दौरान अपेक्षित था।

इसलिए एनपीसीआईएल ने निर्णय लिया कि फिर से ईंधन भरने के अनुपयोग काल के दौरान तथा अनिवार्यता के मामलों में आगे प्रचालन के दौरान रूस या तीसरे देशों से विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति को एनपीसीआईएल तथा एएसई के बीच नए संविदा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तदनुसार 24 अगस्त 2015 को एनपीसीआईएल तथा एएसई के बीच नए संविदा पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें फिर से ईंधन भरने के अनुपयोग काल के दौरान केकेएनपीपी इकाई I में परामर्श सेवाएं देने के लिए 1.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लागू

करों सहित) 19,800 अमेरिकी डॉलर प्रति श्रम माह की दर से 95 श्रम माह हेतु रूस से विशेषज्ञ नियुक्त किए गए थे।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने पाया कि अगस्त 2015 में रूसी विशेषज्ञों को नियुक्त करने हेतु एएसई को दिये गए ठेके की लागत उक्त हेतु एनपीसीआईएल की स्वयं की अनुमानित लागत 1.06 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 76 प्रतिशत अधिक थी। इसके अलावा, रूसी विशेषज्ञों को पहले भुगतान किए गए 11,220 अमेरिकी डॉलर प्रति श्रम माह के प्रति फिर से ईंधन भरने से संबंधित कार्य के संबंध में रूसी विशेषज्ञों को भुगतान करने हेतु सहमति दी गई राशि 19,800 अमेरिकी डॉलर प्रति श्रम माह अर्थात् 76 प्रतिशत अधिक थी। एनपीसीआईएल के फिर से ईंधन भरने का कार्य स्वयं करने से संबोधित अपनी स्वयं की क्षमताओं के बारे में गलत मूल्यांकन के कारण रूसी विशेषज्ञों की नियुक्ति पर कामबंदी के बाद विचार किया गया था, इसके पास कथित बाध्यताओं को देखते हुए सार्थक मोलभाव की संभावना के बिना उच्च दरों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

आगे यह देखा गया कि 60 दिनों की योजित कामबंदी के प्रति वास्तव में इकाई I 24 जून 2015 से 31 जनवरी 2016 तक 222 दिनों के लिए बंद रही। यह विस्तारित कामबंदी फिर से ईंधन भरने से संबंधी कार्य करने के लिए रूसी वैज्ञानिकों की नियुक्ति के बावजूद जारी रही। एनपीसीआईएल ने इकाई I को पुनः शुरू करने हेतु अनुमानित 60 दिनों से 162 दिन अधिक लिए। एनपीसीआईएल का संयंत्र की कामबंदी और कामबंदी से पूर्व फिर से ईंधन भरने हेतु अपनी तकनीकी दक्षता का मूल्यांकन एवं इसे सुनिश्चित किए बिना इस कार्य को स्वयं निष्पादित करने का आरंभिक निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था।

रिएक्टर को पुनः शुरू करने में अधिक विलंब के कारण लंबे समय तक विद्युत उत्पादन नहीं हुआ और राजस्व सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चूंकि कामबंदी योजना की अपेक्षा 162 अधिक दिनों तक जारी रही, अतः एनपीसीआईएल को विषयाधीन अवधि में बिक्री हेतु विद्युत का उत्पादन न होने के कारण ₹ 947.99 करोड़ तक की राजस्व हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि रूस तथा तीसरे देशों के विशेषज्ञों से तकनीकी सहायता की आवश्यकता पहले से महसूस हो गई थी और यह कि एएसई द्वारा उद्धृत उच्चतर दरें तर्कसंगत थी क्योंकि तैयार किए गए अनुमान जुलाई 2013 में एएसई के साथ किए गए संविदा पर आधारित थे। इसने आगे बताया कि कार्य के कार्यक्षेत्र में उच्च योग्यता प्राप्त विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता थी तथा एनपीसीआईएल के पास मोल-भाव

की गई दर को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि कार्य के कार्यान्वयन में केवल एएसई ही समर्थ था। प्रबंधन ने यह भी बताया कि फिर से ईंधन भरने की कामबंदी में अप्रत्याशित रख-रखाव कार्यों, जैसे खराब रस्सी को बदलना, मुख्य एरियल को डिस्मंटल करना, टीवी एरियल केबल तथा कैमरा, नई रस्सी के साथ आरएफएम, 163 ईंधन फिटिंग में लीक का पता लगाना, योजनागत एक रिएक्टर कूलिंग पंप के प्रति चार की मरम्मत करना आदि, के कारण आशा से अधिक समय लग गया।

प्रबंधन का उत्तर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एनपीसीआईएल ने इकाई I को जून 2015 में ईंधन भरने के लिए बंद करने से पहले इसके लिए वांछित दक्षता के स्तर का सही रूप से निर्धारण नहीं किया। इसके अतिरिक्त 1,500 प्रक्रियाएं विभागीय श्रमिकों एवं भारतीय फर्मों द्वारा लगाई संविदा श्रम शक्ति द्वारा की जानी थी तथा विशेषज्ञों की तकनीकी सहायता/सलाह का उद्देश्य योजना की गई 1,500 प्रक्रियाओं की प्रगति को बढ़ाना था। इसके अलावा, जुलाई 2013 में किए गए संविदा में निश्चित की गई दर 2016 तक लागू थी, अतः अगस्त 2015 में की गई प्रतिनियुक्ति की संविदा में 76 प्रतिशत तक वृद्धि तर्कसंगत नहीं थी। यद्यपि एनपीसीआईएल ने दावा किया था कि संयंत्र को पुनः शुरू करने में विलंब विभिन्न उपस्करों की मरम्मत में लगे समय के कारण हुआ था, फिर भी तथ्य यह है कि उपस्करों को एएसई द्वारा डिजाइन एवं आपूर्त किया गया था तथा साइट पर रूसी वैज्ञानिकों की मौजूदगी के बावजूद एनपीसीआईएल ने इकाई I को पुनः शुरू करने के लिए 162 अधिक दिन लिए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 947.99 करोड़ तक राजस्व हानि हुई थी।

लेखापरीक्षा सिफारिश सं. 5	सिफारिश पर डीएई का उत्तर
सभी भावी योजनाबद्ध कामबंदी के लिए एनपीसीआईएल को लंबी कामबंदी तथा परिणामी राजस्व हानि से बचने हेतु बाह्य परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, समय पर निर्णय लेने के लिए कामबंदी से पूर्व संरचित ब्रेकडाऊन विश्लेषण के साथ मैपिंग के द्वारा दक्षता विश्लेषण करना चाहिए।	डीएई ने सूचना दी कि फिर से ईंधन भरने के लिए कामबंदी अनिवार्य तथा योजनाबद्ध थी। मौजूदा मामले में अनियोजित कामबंदी एईआरबी की नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु थी। डीएई ने भावी अनुपालनों हेतु सिफारिश को अभिलिखित कर लिया था।

निष्कर्ष

एनपीसीआईएल ने, यह सुनिश्चित करने के बजाय की लागत संघटक लागू नियामक नियम/आदेशों और अस्थिर पावर की दर निर्धारण कि प्रक्रिया के सिद्धांतों की रौशनी में विचार किये जाएं, अस्थिर पावर कि दर निर्धारण में विवेक/तदर्थता से बचने के लिए कोई पूर्व निर्धारित मानदंड को ईजाद नहीं किया। ईंधन भरने के लिए कार्यबन्दी प्रक्रिया में एनपीसीआईएल द्वारा उचित योजना एवं निर्धारण का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप इकाई I अनुमानित समय से लम्बे समय तक बंद रही, फलस्वरूप काफी मात्रा में राजस्व हानि हुई।